



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14289

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2732 वर्ष 2025

श्रीमती रिंकी देवी

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक के अधिवक्ता:

अनीश कुमार, महेश कुमार साहनी, नरेंद्र सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. सूची को संशोधित किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर शपथ-पत्र (rejoinder affidavit) को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री नरेंद्र सिंह, विद्वान राज्य विधि अधिकारी श्री आर.पी. सिंह को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्रियों का अवलोकन किया।
3. आवेदक विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना- गोरखनाथ, जिला- गोरखपुर में मुकदमा अपराध संख्या 502 वर्ष 2024, अंतर्गत धारा 103(1) बी.एन.एस. (BNS) के तहत जमानत की मांग कर रही है।
4. अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह कहा गया है कि आवेदक अपने पति अशोक से अलग रहने लगी थी और दिनांक 20/21.09.2024 की रात को उससे मिलने आई थी। बताया गया है कि रात लगभग 01:00 बजे दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ, जिसके कुछ समय बाद आवेदक के पति अशोक की आवाज बंद हो गई। इसके बाद, सुबह मृतक की पुत्री के रोने की आवाज सुनकर मुखबिर को पता चला कि उसके भाई की मृत्यु हो गई है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के समय से लगभग आठ घंटे विलंबित है और उक्त कारित विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। आवेदक को केवल संदेह के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। यह सत्य है कि मृतक की मृत्यु गला घोटने (strangulation) के कारण हुई है, लेकिन आवेदक एक कमजोर कद-काठी की महिला है और वह गला घोटने जैसा अपराध करने में सक्षम नहीं है, अतः आवेदक जमानत की हकदार है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. यहाँ तक कि पीडब्ल्यू-1 (PW-1) का बयान भी दर्ज किया जा चुका है और उसने कहा है कि उसने रात में कोई शोर नहीं सुना था, इसलिए आवेदक जमानत की हकदार है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 21.09.2024 से जेल में निरुद्ध है, इस प्रकार कारावास की अवधि लगभग एक वर्ष और तीन महीने है। वह विचारण में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी।
8. विद्वान राज्य विधि अधिकारी ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
9. इस न्यायालय ने विचारण की स्थिति (status of trial) मांगी थी। दिनांक 11.12.2025 की स्थिति रिपोर्ट दर्शाती है कि दो गवाहों का परीक्षण किया जा चुका है।
10. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करते हुए, पीडब्ल्यू-1 के बयान को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए आधार बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
11. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक- श्रीमती रंकी देवी को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व प्रतिभूओं का सत्यापन किया जाए। (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगी। (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दबाव/धमकी नहीं देगी। (iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगी।

12. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति)

जनवरी 20, 2026

शालिनी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।